[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 1/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 6 जनवरी, 2021

सा.का.नि. ..... (अ)- जहां कि चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "मेलामाइन" के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 28 जनवरी, 2016, जिसे सा.का.नि. 122 (अ), दिनांक 28 जनवरी, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/32/2020-डीजीटीआर, दिनांक 22 सितम्बर, 2020, जिसे दिनांक 22 सितम्बर, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उन्होंने उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है ।

अत: अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 28 जनवरी, 2016, जिसे सा.का.नि. 122 (अ), दिनांक 28 जनवरी, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क 28 फरवरी, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो, लागू रहेगा"

[फाइल संख्या 354/28/2004 -टीआरयू (पार्ट-।।)]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 28 जनवरी, 2016 को सा.का.नि. 122 (अ), दिनांक 28 जनवरी, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 34/2019-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 6 सितम्बर, 2019, जिसे सा.का.नि. 640 (अ), दिनांक 6 सितम्बर, 2019 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।